पंजीकृत सं0—1236 / 2025
जी0 आर0 सं0—1236 / 2025
निर्णय की तिथि—27.07.2026
वाद की प्रकृति—ससंघर्ष
वाद का परिणाम—दोषसिद्ध
उपस्थित—श्री मनीष राय,
अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी,
बेनीपट्टी, मधुबनी

प्रपत्र — अ

<table>
<tr><td colspan="2">
न्यायालय अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, बेनीपट्टी

उपस्थितः श्री मनीष राय,
अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, बेनीपट्टी।
निर्णय तिथि—27.07.2026
खिरहर थाना कांड सं0—95 / 2025, सामान्य वाद सं0—1236 / 2025,
विचारण सं0—2107 / 2026, सी0 एन0 आर0 नं0—BRMB21P0030832025
</td></tr>
<tr><td>सूचक</td><td>राज्य द्वारा पु0 अ0 नि0 शुभम कुमार, पिता—उपेंद्र मिस्त्री
साकिन—सुभानी बिगहा, थाना—हुलासगंज, जिला—जहानाबाद।</td></tr>
<tr><td>अभियोजन के अधिवक्ता</td><td>श्री सुभाष चंद्र मंडल, (विद्वान अपर मुख्य अभियोजन पदाधिकारी)</td></tr>
<tr><td>अभियुक्तगण</td><td>1. दीपक कुमार यादव उम्र—30 वर्ष, पिता—श्याम चंद्र यादव और
2. कृष्ण मोहन यादव उम्र—29 वर्ष, पिता—गणेश यादव
सभी सकिनान—मनपौर, थाना—बेनीपट्टी, जिला—मधुबनी।</td></tr>
<tr><td>प्रतिरिक्षा पक्ष के अधिवक्ता</td><td>श्री संतोष कुमार और श्री गंगा प्रसाद यादव (विद्वान अधिवक्तागण)।</td></tr>
</table>

प्रपत्र — ब

प्राथमिकी की तिथि	21.08.2025
अंतिम प्रपत्र की तिथि	18.10.2025
संज्ञान की तिथि	18.12.2025
आरोप गठन के सुनाए जाने की तिथि	10.04.2026
साक्ष्य प्रारंभ की तिथि	13.04.2026
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	08.07.2026
निर्णय की तिथि	27.07.2026
दंडादेश की तिथि	27.07.2026

पंजीकृत सं0–1236 / 2025
जी0 आर0 सं0–1236 / 2025
निर्णय की तिथि–27.07.2026
वाद की प्रकृति–ससंघर्ष
वाद का परिणाम–दोषसिद्ध
उपस्थित–श्री मनीष राय,
अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी,
बेनीपट्टी, मधुबनी

अभियुक्तगण का क्रमांक	अभियुक्तगण–2
अभियुक्तगण का नाम	1. दीपक कुमार यादव और 2. कृष्ण मोहन यादव
गिरफ्तारी की तिथि	21.08.2025
जमानत की तिथि	29.10.2025
आरोप गठन के सुनाए जाने की विवरणी	धाराएं–25(1–B)(a), 26 और 35 आयुध अधिनियम, 1959
निर्णय	दोषसिद्ध
दण्डादेश	दोनों दोषसिद्ध अभियुक्तगण को शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा–25(1–B)(a) के अंतर्गत 02 (दो) वर्ष के कठोर कारावास और 5,000/– (पाँच हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में अभियुक्तगण को 02 (दो) माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा–26 के अंतर्गत 01 (एक) वर्ष के कठोर कारावास और 2,000/– (दो हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में अभियुक्तगण को 01 (एक) माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
धारा–428 दं0 प्र0 सं0 सं सम्बंधित विवरणी	02 महीने, 08 दिन

प्रपत्र – स

अभियोजन / प्रतिरक्षा न्यायालय साक्षियों की सूची

ए – अभियोजन

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य)
1.	P.W-01 शुभम कुमार शर्मा	सूचक
2.	P.W-02 ऋतेश कुमार	पुलिस साक्षी
3.	P.W-03 कामेश्वर दास	जब्ती का सक्षी
4.	P.W-04 गोखुला राम	विशेषज्ञ साक्षी (आयुध निरीक्षक)
5.	P.W-05 प्रिया कुमारी	पुलिस साक्षी / अनुसंधानकर्ता
6.	P.W-06 रामवृक्ष पासवान	जब्ती का सक्षी
7.	P.W-07 अवधेश कुमार	पुलिस साक्षी

ख – प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई है: कोई नहीं

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य)
	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

स – न्यायालय के साक्षी, यदि कोई है: कोई नहीं

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य)
	अप्रयोज्य	. अप्रयोज्य

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालय प्रदर्श की सूची–

क – अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श सं0	विवरणी
	P-1/P.W.-1	लिखित आवेदन पर सूचक का लिखित हस्ताक्षर।
	P-2/P.W.-1	जब्ती सूची पर सूचक का लिखित हस्ताक्षर।
	P-3/P.W.-1	गिरफ्तारी मेमों पर सूचक का लिखित हस्ताक्षर।
	P-3/P.W.-3	जब्ती सूची पर कामेश्वर दास का लिखित हस्ताक्षर।
	P-4/P.W.-4	आर्म्स प्रतिवेदन पर आयुध निरीक्षक का लिखित हस्ताक्षर।
	P-5/P.W.-5	आरोप–पत्र पर अनुसंधानकर्ता का लिखित हस्ताक्षर।
	P-6/P.W.-5	अभियोजन स्वीकृति (Sanction Report)।
	P-7/P.W.-6	रामवृक्ष पासवान का जब्ती सूची पर लिखित हस्ताक्षर।

ख – प्रतिरक्षा पक्ष – प्रवर्तनीय नहीं

क्रमांक	प्रदर्श सं0	विवरणी
	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

ग – न्यायालय प्रदर्श – प्रवर्तनीय नहीं

क्रमांक	प्रदर्श सं0	विवरणी
	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

घ – सामग्री वस्तु – अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श सं0	विवरणी
1.	MO-1/P.W.-5	देशी कट्टा
2.	MO-2/P.W.-5	पांच जिंदा कारतूस

निर्णय

1. रितेश तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2010) 10 एस.सी.सी. 677 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि प्रत्येक विचारण अनुसंधान की यात्रा है जिसमे सत्य का अनुसंधान करना होता है। मार्गरिडा सिक्वेरिया फर्नांडिस बनाम इरास्मो जैक डी सिक्वेरिया, (2010) 05 एस.सी.सी. 370 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रेतर सत्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए और अपने परीक्षण में कहा कि सत्य संपूर्ण विधिक प्रक्रिया में मार्गदर्शक सितारा होना चाहिए और न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि संपूर्ण न्याय के लिए सत्य की खोज करे। यह विनियमित किया गया था कि संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया मे सत्य पथप्रदर्शक सितारा होना चाहिए। मात्र सत्य ही न्याय का आधार है। संपूर्ण न्यायिक प्रणाली केवल वास्तविक सत्य को समझने और उसके अनुसंधान के लिए बनायी गयी है। न्यायिक व्यवस्था के प्रारंभ से ही यह स्वीकृत है कि न्यायालयो के अस्तित्व में निहित मुख्य उद्देश्य अनुसंधान, पुष्टि और सत्य की स्थापना है।

पंजीकृत सं0–1236/2025
जी0 आर0 सं0–1236/2025
निर्णय की तिथि–27.07.2026
वाद की प्रकृति–ससंघर्ष
वाद का परिणाम–दोषसिद्ध
उपस्थित–श्री मनीष राय,
अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी,
बेनीपट्टी, मधुबनी

अभियोजन का वाद

2. प्रस्तुत मामले में उपरोक्त नामित कुल 02 अभियुक्तगण ***1. दीपक कुमार यादव और 2. कृष्ण मोहन यादव*** के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धाराएं–25(1–B)(a), 26 और 35 के अंतर्गत आरोपों का विचारण चल रहा है।

3. सूचक द्वारा पुलिस पदधिकारी के समक्ष दिए गए फर्दबयान के आधार पर संक्षिप्त वाद है कि दिनांक–20.08.2025 को समय करीब 22:10 बजे विशेष छापामारी के तहत, वाहन चेकिंग एवं शराब के विरूद्ध छापामारी हेतु थाना के पु0 अ0 नि0/257 रितेश कुमार, पु0 अ0 नि0/465 अवधेश कुमार, DAP महिला सि0/867 नेहा कुमार, BHG सि0/312005 रामवृक्ष पासवान, BHG सि0/9727 कामेश्वर दास और BHG सि0/9267 चेतन देव साह साथ सरकारी वाहन से प्रस्थान कर समय करीब 22:30 बजे ग्राम खिरहर सेंट्रल चौक के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे तभी गुप्त सूचना मिला कि ग्राम भरण टोल खिरहर में 2–4 अज्ञात व्यक्ति इकट्ठा होकर बड़ी घटना को अन्जाम देने के लिए योजना बना रहे हैं। मिली सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्राम भरणटोल स्थित लाल चौधरी के घर के पास पहुंचकर सघन वाहन चेकिंग एवं छापामारी करना शुरू किया तभी समय करीब 23:05 बजे देखे कि ग्राम सीरिया पुर की तरफ से एक मोटरसाईकिल पर सवार दो व्यक्ति आ रहे है जिसे साथ के बल द्वारा रूकने का इशारा किया गया। पुलिस बल एवं वाहन को देख दोनों व्यक्ति मोटरसाईकिल को सड़क पर छोड़कर भागने लगे। साथ के बल के सहयोग से पकड़कर अपने कब्जे में लिया एवं नाम पूछा तो अपना–अपना नाम क्रमशः 1. दीपक कुमार यादव और 2. कृष्ण मोहन प्रसाद यादव बताया। अधिक रात्रि होने के कारण कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं रहने की स्थिति में साथ के बल BHG सि0/312005 रामवृक्ष पासवान, BHG सि0/9727 कामेश्वर दास को साक्षी बनाते हुए अपना जमा तलाशी देते हुए कब्जा में लिए दोनों व्यक्ति को बारी–बारी से विधिवत् तलाशी लेने पर 1. कृष्ण मोहन प्रसाद यादव हाफ पेंट के कमर में ढककर खोसा हुआ एक देशी कट्टा जिसका बैरल की लंबाई 12 से0मी0, बॉडी की लंबाई 9 से0मी0, बट की लंबाई 9 से0मी0 एवं हाफ पेंट के बाएं पॉकेट से एक सेमसंग कंपनी का स्मार्ट फोन जिसका EMEI NO.-350722243898652, 350884523898651 बरामद हुआ तथा 2. दीपक कुमार यादव के जींस पेंट के दाहिने पॉकेट से पीला प्लास्टिक में .315 बोर का पांच जिंदा कारतूस एवं जींस के बाए पॉकेट से One Plus कंपनी का स्मार्ट फोन जिसका EMEI NO.-861759072167694, 861759072167686 एवं एक स्पलेंडर मोटरसाईकिल जिसका रजि0 सं0–BR32AM2314, CHS No.- MBLHAW123NHD20654, ENG NO.- HA11EDNHD23141 बरामद हुआ, जिसे जब्त किया गया तथा दोनों पकड़ाए व्यक्तियों को

विधिवत गिरफ्तार किया गया। दोनों व्यक्तियों से जब्त कट्टा एवं जिंदा कारतूस के संबंध में पूछताछ किया तो दोनों के द्वारा बताया गया कि उक्त कट्टा सचिन यादव का है जो मुझे अपने पास रखने के लिए दिया था। जब्त मोटरसाईकिल के संबंध में पूछताछ किया तो दीपक कुमार यादव के द्वारा बताया गया कि यह मेरे भगिना ऋषिकेश का है तथा इस संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। संदेही सचिन यादव के घर पर छापामारी किया गया लेकिन सचिन यादव को घर से फरार पाया गया।

<u>प्रक्रियात्मक अनुपालन</u>

4. उपरोक्त फर्दबयान के आधार पर खिरहर थाना कांड सं0—95/2025 दर्ज कर अनुसंधानोपरांत अनुसंधानक द्वारा कुल 02 अभियुक्तगण के विरुद्ध घटना को सत्य पाते हुए आरोपपत्र सं0—121/2025 न्यायालय को समर्पित किया गया एवं न्यायालय द्वारा नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक—18.12.2025 को आयुध अधिनियम, 1959 की धाराएं—25(1—B)(a), 26 और 35 में संज्ञान लिया गया एवं अभियुक्तगण की उपस्थिति पश्चात् दिनांक—10.04.2026 को संज्ञानित धाराओं में आरोप गठन कर अभियुक्तगण को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इंकार किये एवं विचारण की मांग किए।

5. अभियोजन साक्ष्य आदेश दिनांक—26.05.2026 को बंद किया गया और अभियुक्तगण को धारा—313 द०प्र०सं०,1973 के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया, जिसमें अभियुक्तगण का कथन है कि आयुध अधिनियम, 1959 की धाराएं—25(1—B)(a), 26 और 35 के अपराध के आरोपों से इंकार किया। इस प्रकार अभियुक्तगण ने सभी आरोपो से इन्कार किया एवं स्वयं को निर्दोष बताया।

6. बचाव पक्ष की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है।

<u>विचारणीय प्रश्न</u>

7. न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष एकमात्र अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है या नहीं ?

पंजीकृत सं0—1236 / 2025
जी0 आर0 सं0—1236 / 2025
निर्णय की तिथि—27.07.2026
वाद की प्रकृति—ससंघर्ष
वाद का परिणाम—दोषसिद्ध
उपस्थित—श्री मनीष राय,
अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी,
बेनीपट्टी, मधुबनी

मंतव्य, क्रमबंधन और साक्ष्यों का मूल्यांकन

8. न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथन के समर्थन में कुल 07 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया। अभियोजन साक्षी संख्या—***1. शुभम कुमार शर्मा, 2. ऋतेश कुमार, 3. कामेश्वर दास, 4. गोखुला राम, 5. प्रिया कुमारी, 6. रामवृक्ष पासवान और 7. अवधेश कुमार*** का परीक्षण कराया गया है।

9. अभियोजन साक्षी संख्या—01 शुभम कुमार शर्मा अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि मैं इस केस का सूचक हूं। इस केस में घटना की तिथि को पु0 अ0 नि0 सह थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित था। यह घटना दिनांक—20.08.2025 की है। उक्त तिथि को अपने दल बल के साथ रेड छापामारी के लिए थानाक्षेत्र में प्रस्थान किये थे। तभी गुप्त सूचना मिली कि खिरहर भरण टोल में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। खिरहर भरण टोल लाल चौधरी के घर के पास पहुंचा। चेकिंग के क्रम में देखा कि दो आदमी एक मोटरसाईकिल पर आ रहे थे। मैं उसको रोकने का प्रयास किया और चेकिंग किया गया। दो गवाह के समक्ष तलाशी ली तो तलाशी के क्रम में कृष्ण मोहन के कमर के हाफ पैंट से एक देशी कट्टा बरामद हुआ। देशी कट्टा और जेब से एक सैमसंग मोबाईल बरामद किया था। दीपक कुमार की तलाशी ली गयी तो उसके पॉकेट से पांच जिंदा कारतूस .315 का और एक मोबाईल बरामद हुआ था। बरामद सामान को विधिवत जब्त किया गया। उक्त दोनों अभियुक्तगणों के पास एक स्पलेंडर मोटरसाईकिल बरामद हुआ था। दो गवाहों के समक्ष जब्त किए गये सामान का जब्ती सूची बनाया। सीलबंद करके जब्त किया और उसके बाद थाना लेकर आये। उक्त दोनों गिरफ्तार व्यक्ति को थाना लाकर जमा तलाशी उपरांत साफ सुथरा हाजत में बंद किए। लिखित आवेदन एवं उसके ऊपर पृष्ठांकन मेरे लिखावट में है जिसका प्रदर्श P-1/P.W-1 अंकित किया गया। जब्ती सूची मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसका प्रदर्श P-2/P.W-1 अंकित किया गया। गिरफ्तारी मेमों मेरे द्वारा बनाया गया था और उसपर मेरा हस्ताक्षर है जिसका प्रदर्श P-3/P.W-1 अंकित किया गया। इस केस के अभियुक्तगण को मैं पहचानता हूं। वह आज न्यायालय में उपस्थित है जिसका नाम दीपक कुमार है। शेष अभियुक्तगण जो आज नहीं आये हैं उनको देखकर पहचान लूंगा। जबकि अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि जब हमलोग छापामारी करने गये थे तो मोबाईल और अनुसंधान के टीम थे। अनुसंधान टीम में टॉर्च, स्केल, पेंट एवं टेप आता है। जिस गाड़ी से अनुसंधान के लिए गया था वह बोलेरो जिसका पंजीकृत सं0—BR32PA1216 है। उस गाड़ी को किराये पर डिपार्टमेंट ले रखी थी। गाड़ी के ड्राईवर मनोज कुमार थे। वह गाड़ी ड्राईवर प्राईवेट आम नागरिक है। भरण टोल लाल चौधरी के पास पूर्व में भी नाकाबंदी किया था। रात्रि होने के

कारण चारों तरफ अंधेरा था और नहीं दिखाई दे रहा था जिस कारण चौहद्दी नहीं बता सकता हूं। मैं नहीं बता सकता हूं कि लाल चौधरी के घर के पास कितने लोगों का घर है। मैं नहीं बता सकता कि घटना कि तिथि को कृष्ण पक्ष था या शुक्ल पक्ष था। कृष्ण मोहन को रामवृक्ष पासवान के द्वारा पकड़ा गया था। पुनः कहते हैं कि मुझे याद नहीं है कि बल के किस व्यक्ति के द्वारा दीपक को पकड़ा गया। चेकिंग पॉइंट् पर ही दोनों को पकड़ा गया था। दोनों अभियुक्तगण को आस–पास में ही पकड़ा था और दोनों के बीच की दूरी 0.2 मीटर थी। मोबाईल में किस कंपनी का सिम था अभी मुझे याद नहीं है लेकिन प्राथमिकी में लिखे थे या नहीं याद नहीं है। मैं जब्ती सूची और फर्दबयान में मोबाईल के सिम के बारे में लिखा था या नहीं याद नहीं है। अभियुक्तगण के पास से देशी कट्टा, कमर के किस साईड से बरामद किया याद नहीं है। मैं जो देशी पिस्टल बरामद किया था उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। उस देशी पिस्टल की लंबाई लगभग 30 सेमी0 है। देशी पिस्टल जो बरामद हुआ था उसकी लंबाई का मान नहीं किए थे। लकड़ी के कलर के समान बट था और नहीं बता सकता कि लकड़ी के बट का कलर क्या था। जब्त देशी कट्टा के बैरल पर कोई निशान नहीं था। जब्त देशी कट्टा का बैरल एवं बट स्टील जैसा चमक रहा था या नहीं पता नहीं है। मुझे याद नहीं है कि दीपक कुमार के जींस के किस पॉकेट से कारतूस पाया। बरामद कारतूस एक ही साथ था। बरामद कारतूस पीला प्लास्टिक में रखा था। पीला पन्नी को मैं जब्त नहीं किया था केवल कारतूस को जब्ती सूची में भेजा। उस पीला पन्नी को मैं फेंक दिया था। वह पन्नी पाउच वाला था, जिसमें ऊपर से बंद करने के लिए होता है। मोटरसाईकिल उक्त दोनों अभियुक्तगणों के पास से बरामद किया था जिसका जब्ती सूची बनाया था। गोली पर पहचान चिन्ह था लेकिन उसे जब्ती सूची में अंकित नहीं किया था। स्वयं के बयान पर 23:50 बजे सेल्फ स्टेटमेंट दर्ज किया था। 1:10 बजे में थाना जाने के बाद में पंजीकृत किया था। जब्ती सूची का प्रपत्र टाईप किया हुआ था। जब्ती सूची पर गवाह के रूप में गृह रक्षक है। काफी अंधेरा होने के कारण कोई आम आदमी नहीं था। जब्ती गाड़ी का पंजीकृत सं0–BR32AM2314 है। ऐसी बात नहीं है कि गिरफ्तार अभियुक्तगण के पास से किसी तरह का कोई देशी कट्टा एवं हथियार बरामद नहीं हुआ था एवं मुदालह के पास से हेलमेट बरामद नहीं हुआ था जिसके कारण अवैध मांग किया जिसको फूल–फिल नहीं किया था जिसको लेकर झूठा केस किया।

10. अभियोजन साक्षी संख्या–02 रितेश कुमार अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि इस केस में घटना की तिथि को पु0 अ0 नि0 के पद पर पदस्थापित था। इस केस में मैं थानाध्यक्ष खिरहर के साथ टीम में गया था। उस दिन रात्रि के गश्ती में वाहन चेकिंग के लिए निकले थे और खिरहर सेंट्रल चौक पर हमलोग वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी क्रम में थानाध्यक्ष को

गुप्त सूचना मिला। सूचना मिलने पर खिरहर स्थित भरण टोल गया था। एक बाईक से दो आदमी आ रहे थे। पुलिस को देखकर गाड़ी छोड़कर भागने लगे। दौड़कर हमलोग कुछ दूरी पर पकड़े। उन दोनों को चेक किया गया तब कृष्ण मोहन के पास से एक देशी कट्टा और एक मोबाईल बरामद हुआ था। दीपक कुमार के पास से पांच जिंदा कारतूस और एक मोबाईल बरामद हुआ था। इस केस के अभियुक्तगण दीपक कुमार आज न्यायालय में उपस्थित है जिसको मैं पहचानता हूं। शेष अभियुक्तगण जो नहीं आये हैं उन्हें देखकर पहचान लूंगा। जबकि अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि गश्ती टीम में कुल कितने आदमी थे? मुझे ध्यान में नहीं है कि गश्ती टीम में कितने आदमी थे। पुलिस टीम के द्वारा भरण टोल, खिरहर में जांच के लिए कितने बजे नाका लगाए थे? रात्रि के साढ़े दस बजे के बाद। सेट्रल चौक खिरहर में पुलिस टीम को कितने बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुई? कि भरण टोल पर कुछ अपराधी अपराध करने वाले हैं? मैं उस समय टाईम नहीं देखा था। घटना कि तिथि दिनांक–20.08.2025 को अंधेरी रात्रि थी। कृष्ण मोहन के पास से देशी कट्टा पुलिस टीम का कौन–सा सदस्य निकाला था? मुझे याद नहीं है। दीपक कुमार के पास से बरामद गोली पुलिस टीम कौन सा सदस्य बरामद किया था मुझे याद नहीं है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण को कितनी दूर दौड़कर पकड़ा था? कुछ दूरी पर दौड़कर पकड़ा था निश्चित दूरी नहीं बता सकता। थानाध्यक्ष के समक्ष पुलिस टीम के द्वारा किस अभियुक्तगण को सर्वप्रथम लाया गया था? मुझे याद नहीं है। जो देशी कट्टा कृष्ण मोहन के पास से बरामद हुआ था उसको मैं देखा था। बरामद देशी कट्टा मुझे दोबारा दिखाया जाएगा तो मैं उसको निश्चित रूप से नहीं पहचान पाउंगा। जो बरामद देशी कट्टा था उस तरह का और भी कट्टा हो सकता है? मैं अपनी जीवनकाल में देखा हूं। उस पर पहचान चिह्न था या नहीं याद नहीं है लेकिन देखने से पहचान लूंगा। बरामद गोली पर कोई पहचान चिह्न था या नहीं याद नहीं है। दीपक यादव और कृष्ण मोहन यादव किस रंग का कपड़ा पहने हुए थे याद नहीं है। पुलिस टीम के पास कौन–कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था? पुलिस टीम के पास टॉर्च, मोबाईल एवं इलेक्ट्रॉनिक टीम के क्या–क्या होता है याद नहीं है। पुलिस टीम के साथ प्रिंटर नहीं था। पुलिस टीम के साथ कितने सदस्य आग्नेयास्त्र से लैश थे? मुझे इतना ध्यान नहीं है। जब्त मोटरसाईकिल किस कंपनी और किस रंग की थी? स्पलेंडर एवं रंग ध्यान में नहीं है। मेरा बयान पुलिस के समक्ष हुआ था। जब्त गाड़ी का चेचिस नंबर नहीं लिखा सकता हूं एवं मोबाईल का IMEI नंबर नहीं लिखा सकता हूं। छापामारी दल में शामिल बी.एच.जी. सिपाही का नंबर नहीं बता सकता हूं लेकिन उनका नाम बता सकता हूं। छापामारी टीम में नाकाबंदी के समय महिला सिपाही थी। घटनास्थल की चौहद्दी नहीं लिखा सकता हूं। घटनास्थल का कोई पहचान चिह्न नहीं बता सकता हूं। जब्त रिवाल्वर चमकीला था या नहीं मुझे याद नहीं है। मोटरसाईकिल का ड्राईवर हेलमेट पहना था या नहीं याद नहीं है। ऐसी बात

नहीं है कि मुदालहगण द्वारा पुलिस टीम के नजायज उगाही का विरोध किया गया जिसके कारण मुदालहगण को गलत आरोप में फंसाया गया और मुदालहगण के पास से किसी प्रकार का अवैध कारतूस बरामद नहीं हुआ था।

11. अभियोजन साक्षी संख्या–03 कामेश्वर दास अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि इस केस के समय मैं होमगार्ड के पद पर खिरहर थाना में पदस्थापित था। इस केस में थाना के साथ निकला था और खिरहर पहुंचा था। छापामारी के दौरान एक देशी कट्टा बरामद हुआ था। उस देशी कट्टा का जब्ती सूची घटनास्थल पर ही बना था। जब्ती सूची पर मेरा हस्ताक्षर है जिसका मैं पहचानता हूं जिसका प्रदर्श P-3/P.W-3 अंकित किया गया है। इस केस के अभियुक्तगण को मैं पहचानता हूं जो आज न्यायालय में उपस्थित है। जबकि अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण जिसको मैं पहचानता हूं उसका नाम दीपक है। मुझे याद नहीं है कि देशी कट्टा का जब्ती सूची बना था। मुझे जानकारी नहीं है कि जब्ती सूची में क्या–क्या लिखा हुआ था। थानाध्यक्ष के कहे अनुसार जहां–जहां हस्ताक्षर करने को कहे कर दिया था। मैं पिछले वर्ष दिसंबर में रिटायर्ड हो गया था। मैंने हथियार देखा था। हथियार चमकीला नहीं था। घटनास्थल पर दरोगा जी ने मुझे वह हथियार दिखाये थे। जिस समय दरोगा जी मुझे हथियार दिखाये थे उस समय 10–12 स्टाफ थे। इस केस के संबंध में आज से पूर्व मुझसे अनुसंधान के क्रम में पूछताछ नहीं किया गया था। जिस समय हथियार बरामद हुआ था उस समय अंधेरा था। 100–200 मीटर की दूरी पर अभियुक्तगण को पीछा करते हुए पकड़ा था। अभियुक्तगण को बोलेरो से पीछा करके पकड़ा गया था। बोलेरो का ड्राईवर कौन था मुझे नहीं पता है। जिस बोलेरो से अभियुक्तगण का पीछा किया गया था उसका नंबर याद नहीं है। छापामारी के समय बोलेरो में कौन–कौन था मुझे याद नहीं है। जब्ती सूची हाथ से लिखा हुआ था मुझे जानकारी नहीं है। जब्ती सूची पर मेरे अलावा और कौन हस्ताक्षर किये मुझे याद नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मुदालहगण के पास से किसी तरह का कोई हथियार बरामद नहीं हुआ था और न ही किसी तरह का कोई जब्ती सूची बना और मुदालह को फंसाने के लिए झूठा गवाही दिया एवं झूठा केस किया गया।

12. अभियोजन साक्षी संख्या–04 गोखुला राम अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि इस केस में आर्म्स जांच के समय पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय मिथिला क्षेत्र दरभंगा में आयुध निरीक्षक के पद पर पदस्थापित था। खिरहर थाना कांड सं–95 / 2025 में जब्त वस्तु प्रदर्श आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त हुआ था। प्रदर्श में छोटे बैरल का एक देशी कट्टा तथा 8 एम.एम. का पांच जिंदा कारतूस प्राप्त हुआ था। जांच हेतु जब्त प्रदर्श सीलबंद अवस्था में

थैला में प्राप्त किया था। बट एवं बॉडी चेंबर सहित बैरल की लंबाई 12.3 सेमी0 पूरी लंबाई 28.5 सेमी0 है। हैमर, ट्रीगर एवं फायरिंग पिन कारगर अवस्था में था। दिनांक–08.09.2025 को खिरहर थाना कांड सं0–95/2025 दिनांक–21.08.2025 शस्त्र अधिनियम, 1959 में जब्त वस्तु प्रदर्श को कांड के अनुसंधानकर्ता पु0 अ0 नि0 प्रिया कुमारी द्वारा मेरे समक्ष विशेषज्ञ जांच हेतु प्रस्तुत किया गया। जब्त प्रदर्श सील थैला में लाया गया जिसपर खिरहर थाना कांड संख्या एवं माननीय न्यायालय का लघु हस्ताक्षर अंकित था। जब्त प्रदर्श के रूप में एक देशी कट्टा एवं 8 एम.एम. का पांच जिंदा कारतूस प्राप्त हुआ था। छोटे बैरल का देशी कट्टा स्थानीय स्थल पर अवैध रूप से निर्मित अग्नेयास्त्र है। इस देशी कट्टा का भौतिक एवं यांत्रिक विधि से जांच किया गया। स्लाईड केलिपर्स से शस्त्र का आंतरिक व्यास मापा गया जिससे पता चलता है कि 8 एम.एम. का कारतूस फायर किया जा सकता है। आर्म्स जांच रिपोर्ट पर मेरा हस्ताक्षर है जिसको पहचानता हूं जिसका प्रदर्श P-4/P.W-4 अंकित किया गया है। जबकि अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि मुझे याद नहीं है कि न्यायालय से वस्तु प्रदर्श किस तिथि को प्राप्त हुआ था। देशी कट्टा का व्यास आठ एम.एम. का था। देशी कट्टा एक भाग में था। देशी कट्टा के बट की लंबाई मैं नहीं बता सकता। देशी कट्टा के बट की लंबाई अलग–अलग होती है। जब्त प्रदर्श पर माननीय न्यायालय का लघु हस्ताक्षर अंकित था जिसका मैंने जांच रिपोर्ट में अंकित नहीं किया था। देशी कट्टा L Shape में था। कट्टा के होल्डर पर लकड़ी लगा था या नहीं अपने जांच रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया था। देशी कट्टा की लंबाई अलग–अलग होती है उसका कोई लिमिटेशन नहीं होती है। देशी कट्टा पर किसी तरह का पहचान चिह्न था मुझे याद नहीं है और न ही उसका मैंने जांच रिपोर्ट में वर्णन किया। स्लाईड केलिपर्स से व्यास नापा गया एवं स्प्रींग बैलेंस से ट्रिगर का पुलअप नापा गया। ये कोई यंत्र नहीं है बल्कि उपकरण है। मैं अपने जांच रिपोर्ट में अंकित नहीं किया था कि अनुसंधानकर्ता द्वारा कितने बजे जब्त वस्तु को जांच के लिए प्रस्तुत किया गया और कितने बजे लौटाया। जब्त प्रदर्श का टेस्ट फायरिंग नहीं किया था। कारतूस का भी टेस्ट फायरिंग नहीं किया था। कारतूस जिंदा था यह बात मैं अपने प्रशिक्षण के आधार पर कहा। कारतूस जिंदा या डेड है इसको नापने का कोई यंत्र नहीं है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा जब्त प्रदर्श मुझे प्रस्तुत किया गया था जिसका प्राप्ति रशीद मैं बनाया था और अनुसंधानकर्ता को जब्त प्रदर्श वापस किया था तो उसका रशीद भी अनुसंधानकर्ता से प्राप्त किया था। मैं अपने पूरे जांच रिपोर्ट में यह लिखा कि जब्त प्रदर्श कारगर है यह प्रतीत होता है। मैंने अपने जांच रिपोर्ट में यह नहीं लिखा था कि जब्त प्रदर्श निश्चित रूप से कारगर है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा जांच रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है और बिना जांच के ही जांच रिपोर्ट बना दिया।

13. अभियोजन साक्षी संख्या—05 प्रिया कुमारी अपने मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि इस केस में घटना की तिथि को पु0 अ0 नि0 के पद पर खिरहर थाना में पदस्थापित थी। उक्त तिथि को थानाध्यक्ष शुभम कुमार शर्मा के द्वारा अनुसंधान का प्रभार मिला था। वादी शुभम कुमार शर्मा, साक्षी पु0 अ0 नि0 रितेश कुमार, पु0 अ0 नि0 अवधेश कुमार, महिला सिपाही नेहा कुमारी, होमगार्ड चेतन देव साह का बयान लिया था। घटनास्थल का निरीक्षण जब वादी के द्वारा लिखित आवेदन प्राप्त हुआ था उसके आधार पर सभी साक्षियों का बयान लिया था। उसके बाद घटनास्थल पर प्रस्थान की एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल ग्राम खिरहर भरण टोल जो थाने से पांच कि0मी0 की दूरी पर पूर्व दिशा में है। घटनास्थल की चौहद्दी उत्तर में लाल चौधरी का मकान, दक्षिण में लाल चौधरी का एलबस्टर मकान, पूर्व में पक्की सड़क सिरिया पुल और पश्चिम में सेंट्रल चौक है। मैं पर्यवेक्षण टिप्पणी अपने वरीय पदाधिकारी का प्राप्त की थी। पर्यवेक्षण टिप्पणी में दिये गये आदेश का अनुपालन हुआ था। घटना को सत्य पाते हुए आरोप—पत्र <u>सं0—121 / 25</u>, दिनांक—18.10.2025 को शस्त्र अधिनियम, 1959 की धाराएं—25(1—B)(a), 26 और 35 में समर्पित किया जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसका प्रदर्श P-5/P.W.-5 अंकित किया गया है। इस केस के Sanction Report मेरे द्वारा मांग किया गया था जो समाहरणालय, मधुबनी से प्राप्त हुआ था जिसका प्रदर्श P-6/P.W.-5 अंकित किया गया है। इस केस में दो अभियुक्तगण कृष्ण मोहन यादव और दीपक कुमार यादव घटनास्थल पर गिरफ्तार किये गये थे। कृष्ण मोहन यादव के पास से एक देशी कट्टा जिसका बट लकड़ी का और एक सैमसंग का स्मार्ट फोन, दूसरा दीपक कुमार से पांच जिंदा कारतूस और एक स्मार्ट फोन One plus का बरामद हुआ था। साथ ही एक बाईक जब्त हुआ था। देशी कट्टा का प्रदर्श MO-1/P.W.-5 अंकित किया गया है। पांच कारतूस है जिसका प्रदर्श MO-2/P.W.-5 अंकित किया गया है। इस केस के अभियुक्तगण को मैं पहचानती हूं। आज वह न्यायालय में उपस्थित है। जबकि अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करती है कि आयुध निरीक्षक गोखुल राम के द्वारा वस्तु प्रदर्श देशी कट्टा, कारतूस जांचोपरांत मुझे वापस किया गया। जिसे कपड़े की थैली में सीलबंद करके दिया गया उस कपड़े पर गोखुल राम का हस्ताक्षर या सीलबंद पर मोहर है? चपड़ा पर मार्क है एवं झोली पर हस्ताक्षर नहीं है। थैला के चपड़ा पर क्या मार्क किया गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जांचोंपरांत आपको जो कारतूस आयुध निरीक्षक के द्वारा वापस किया गया उसपर आयुध निरीक्षक का हस्ताक्षर है? नहीं है। देशी कट्टा पर आयुध निरीक्षक का किसी तरह का कोई पहचान नहीं है। जिस थैले में देशी कट्टा एवं कारतूस सीलबंद था उस थैले पर अनुमंडल न्यायिक का हस्ताक्षर है? हस्ताक्षर नहीं है। जिस डब्बे में देशी कट्टा रखा गया उसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं बता सकती हूं। बॉक्स के ओपनिंग प्वाइंट पर न्यायालय का हस्ताक्षर नहीं था एवं चपड़े से सील नहीं है। चारों तरफ से सेलो टेप से सील था। कारतूस चीज डिब्बे में है उसके ओपनिंग

प्वाईंट पर किसी तरह का सील चपड़े पर नहीं है। कारतूस पर माननीय न्यायालय का हस्ताक्षर या लघु हस्ताक्षर अंकित है? कारतूस पर माननीय न्यायालय का हस्ताक्षर नहीं है। जब्त देशी कट्टा पर थाना कांड संख्या माननीय न्यायालय का हस्ताक्षर, अनुसंधानकर्ता का हस्ताक्षर, आयुध निरीक्षक का हस्ताक्षर एवं किसी प्रकार पहचान चिह्न है? कट्टा के बॉडी पर नहीं है। अनुसंधान के ऐसी बात नहीं है द्वारा जब्ती सूची के गवाह कामेश्वर दास एवं रामवृक्ष पासवान से मुलाकात हुई? मुलाकात बहुत बार हुई थी। जब्ती सूची के गवाहों से घटना एवं जब्ती सूची के संबंध में पूछताछ नहीं किया था। घटनास्थल पर कोई मार्क नहीं मिला था। आपने घटनास्थल का नजरी नकसा बनाया है? नहीं। कांड दैनिकी के कंडिका–11 में घटनास्थल का निरीक्षण किस तिथि एवं किस समय किया है यह समय अंकित किये हैं? कंडिका–11 के सामने नहीं है। पूरे अनुसंधान के दौरान आपने किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान एवं घटनास्थल के आस–पास के निवासी का बयान कांड दैनिकी में दर्ज किये हैं? नहीं। पूरे अनुसंधान के दौरान मोबाईल में किस कंपनी का सिम एवं उसका नंबर क्या था? नहीं हुई। प्राथमिकी आवेदन शुभम कुमार शर्मा (थानाध्यक्ष) के द्वारा दी गयी थी। वह आवेदन टंकित थी। मैंने अनुसंधान के समय देखी थी। आयुध निरीक्षक को मैंने जब्त प्रदर्श कट्टा एवं कारतूस जांच करने हेतु आवेदन के साथ दिया था उसका पत्रांक एवं दिनांक बता सकते है? पत्रांक के साथ दिनांक कांड दैनिकी में दर्ज नहीं है। जब्त प्रदर्श देशी कट्टा एवं कारतूस मैंने आयुध निरीक्षक को कितने बजे जांच के लिए दिया उसका समय कांड दैनिकी में अंकित नहीं है। कांड दैनिकी मैं स्वयं टाईप करती हूं कभी अन्य व्यक्ति से टाईप करवाती हूं। जिस अन्य व्यक्ति से टाईप करवाती हूं उसका नाम नहीं बता सकती हूं। जब्ती सूची के अलावे मैंने जब्त देशी कट्टा एवं जब्त कारतूस का ब्यौरा कांड दैनिकी में अंकित किये है? वह साक्षियों के बयान में है। जब्त देशी कट्टा एवं कारतूस का ब्यौरा मैंने स्वयं कांड दैनिकी में कहीं अंकित नहीं की। न्यायालय के सामने जब्त प्रदर्श पीला पन्नी में बंद था जिसमें ऊपर से बंद करने वाला लगा था। अनुसंधान के दौरान जब्त कट्टा एवं गोली मुझे सीलबंद स्थिति में प्राप्त हुआ था। अनुसंधान का भार 1:10 में प्राप्त हुआ था। अनुसंधान के दौरान जो देशी कट्टा एवं कारतूस सीलबंद स्थिति में आपको मिला था इस बात का जिक्र आपने कांड दैनिकी के किस कंडिका में किया? मैंने कांड दैनिकी के किसी भी कंडिका में अंकित नहीं की। देशी कट्टा एवं कारतूस सीलबंद स्थिति में शुभम कुमार शर्मा के द्वारा प्राप्त हुआ था। जब्त प्रदर्श जिस प्लास्टिक बक्सा में बंद था उस पर थानाध्यक्ष (शुभम कुमार शर्मा) का हस्ताक्षर या लघु हस्ताक्षर है? नहीं है। कांड दैनिकी के कंडिका–05, 06, 07, 08 और 09 में दर्ज गवाहों का बयान आप किस तिथि, किस समय और किस स्थान पर दर्ज किये। मैंने किस तिथि, किस समय और किस स्थान पर लिया कांड दैनिकी के कंडिका में अंकित नहीं किया। आरोप–पत्र सं0–121/25, दिनांक–18.10.2025 को समर्पित की थी। सचिन यादव के गिरफ्तारी के लिए

अधिपत्र आवेदन न्यायालय में समर्पित की थी? नहीं। दिनांक—21.08.2025 के बाद आरोप पत्र समर्पित करने तक अनुसंधान के दौरान आपने किसी गवाहों का बयान अंकित किया? नहीं। अभियुक्तगण के पास से जब्त मोबाईल का टावर लोकेशन मैंने अनुसंधान के दौरान प्राप्त नहीं की थी। अनुसंधान के दौरान Sanction Report मुझे प्राप्त नहीं हुई थी। बिना Sanction Report के आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित की थी। घटनास्थल पर मोबाईल लोकेशन का टावर डमपिंग अनुसंधान के दौरान प्राप्त नहीं किया था। ऐसी बात नहीं है कि मेरा अनुसंधान त्रुटिपूर्ण है और अपने वरीय पदाधिकारी के प्रभाव में आकर बिना कोई किसी प्रकार का साक्ष्य संग्रह किये आरोप पत्र मुदालय के विरूद्ध समर्पित किये।

14. अभियोजन साक्षी संख्या—06 रामवृक्ष पासवान अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि इस केस में घटना की तिथि को खिरहर थाना में गृह रक्षक के पद पर पदस्थापित था। इस केस में गश्ती के दौरान पांच राउंड गोली और एक पिस्टल बरामद हुआ था। जब्ती सूची घटनास्थल पर बना था और थाना में जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किया था। जब्ती सूची पर मेरा हस्ताक्षर है जिसको पहचानता हूं, जिसका प्रदर्श P-7/P.W.-6 अंकित किया गया है। इस केस के अभियुक्तगण को देखूंगा तो पहचान लूंगा लेकिन आज न्यायालय में अभियुक्तगण उपस्थित नहीं है। जबकि अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि इस के अभियुक्तगण का उम्र नहीं बता सकता हूं। जिस केस में मैं गवाही दे रहा हूं उसका थाना कांड संख्या के बारे में पता नहीं है। थाना पर जब्ती सूची पर मेरे अलावा कामेश्वर दास ने हस्ताक्षर किया था। जब्ती सूची पर हस्ताक्षर करने के लिए मुझे बड़ा बाबू शुभम शर्मा कहे थे तो में उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया। कितनी जगह मैं जब्ती सूची पर हस्ताक्षर बनाया मुझे याद नहीं है। कामेश्वर दास ने कितनी जगह जब्ती सूची पर हस्ताक्षर बनाया मुझे याद नहीं है। अनुसंधान के दौरान मुझसे पूछताछ नहीं किया गया था। जब्ती सूची पर किस तारीख को अपना हस्ताक्षर बनाया था मुझे याद नहीं है। घटना के अगले दिन सुबह में जब्ती सूची पर मैं अपना हस्ताक्षर बनाया था और उसी समय कामेश्वर दास ने भी अपना हस्ताक्षर बनाया था। घटना के बाद मुझे प्रिया कुमारी पु0 अ0 नि0 से मुलाकात हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि किसी तरह की कोई पिस्टल बरामद नहीं हुआ और मुदालह के पहचान का जो दावा किये है वह गलत है। ऐसी बात नहीं है कि दरोगा जी के कहने पर गलत जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किया हूं।

15. अभियोजन साक्षी संख्या—07 अवधेश कुमार अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं इस केस में घटना के समय खिरहर थाना में पु0 अ0 नि0 के पद पर पदस्थापित था। छापामारी के टीम में थानाध्यक्ष शुभम कुमार शर्मा, पु0 अ0 नि0 रितेश कुमार, महिला सिपाही नेहा कुमारी, गृह रक्षक रामवृक्ष पासवान, चेतन देव, कामेश्वर दास शामिल थे। सेंट्रल चौक पर जांच कर रहा

था तो गुप्त सूचना मिला कि भरण टोल के पास दो–चार आदमी घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर उस जगह पर पहुंचा जहां बताया गया था। वहां पर जांच करना शुरू किये तो जांच के क्रम में सिरियापुर के तरफ से एक मोटरसाईकिल आ रहा था पुलिस को देखते ही मोटरसाईकिल छोड़कर दोनों व्यक्ति भागने लगे। दोनों को पुलिस बल के सहयोग से पकड़े और सर्च किये और सर्च के उपरांत कृष्ण मोहन प्रसाद यादव के पास से देशी कट्टा और दीपक कुमार यादव के जेब से पांच जिंदा कारतूस बरामद हुआ था। थानाध्यक्ष के द्वारा जब्ती सूची घटनास्थल पर बनी थी। जब्ती सूची देशी कट्टा, पांच जिंदा कारतूस, दोनों के पास से एक–एक बरामद मोबाईल का बना था। इस केस के अभियुक्तगण को पहचानता हूं लेकिन आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है परंतु देखने से पहचान लूंगा। जबकि अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि घटनास्थल की चौहद्दी उत्तर में लाल चौधरी का घर, दक्षिण में लाल चौधरी का घर, पूर्व में सिरियापुर जाने वाली पक्की सड़क और पश्चिम में सेंट्रल चौक जाने का पक्की सड़क है। पुलिस टीम के साथ थानाध्यक्ष शुभम कुमार शर्मा, पु0 अ0 नि0 रितेश कुमार, पु0 अ0 नि0 अवधेश कुमार, महिला सिपाही नेहा कुमारी, गृह रक्षक चेतन देव, रामवृक्ष पासवान और कामेश्वर दास थे। इस केस में सबसे पहले किस अभियुक्तगण को पकड़ा गया था उतना ध्यान नहीं है। बाईक दीपक कुमार यादव चला रहा था। उक्त दोनों अभियुक्तगणो को आस–पास में ही पकड़े थे। घटनास्थल के आस–पास घर है। घटनास्थल अंधेरा था और गिरफ्तारी के समय स्वतंत्र आदमी कोई नहीं था। गुप्त सूचना किससे मिली थी वह बात बताया नहीं जाता है। गुप्त सूचना 10:30 बजे में मिली थी। रात्रि के 11:00 बजे में उक्त दोनों अभियुक्तगणों को पकड़े थे। देशी कट्टा अभियुक्तगण के पास से किस पुलिस बल के द्वारा निकाला गया था याद नहीं है। कारतूस अभियुक्तगण के पास से पुलिस बल के किस सदस्य ने निकाला पता नहीं है। अभियुक्तगण के गिरफ्तारी के समय सभी लोग साथ में ही थे। देशी कट्टा देखा था और लोहे का था। बट लकड़ी का था। देशी कट्टा का रंग नहीं बता सकता हूं। जो कट्टा बरामद हुआ था उसके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। रात्रि होने के कारण देशी कट्टा पर मार्क था या नहीं इसके बारे में पता नहीं चला। गोली के पेंदी में पीछे 8 MMKF लिखा हुआ था। कृष्ण मोहन टीशर्ट और हॉफ पैंट पहने हुए था जिसका रंग नहीं बता सकता हूं। स्प्लेंडर गाड़ी बरामद हुआ जिसका रंग नहीं बता सकता हूं। स्प्लेंडर गाड़ी का नंबर नहीं बता सकता हूं। अभियुक्तगण स्प्लेंडर चालक हेलमेट पहना हुआ था या नहीं, नहीं ध्यान में है। ऐसी बात नहीं है कि दोनों अभियुक्तगणों को पुलिस की टीम के द्वारा रोककर के नजायज उगाही की मांग किया गया जिसका विरोध दोनों अभियुक्तगणों ने किया इसी कारण से गलत केस में फंसाकर अभियुक्तगण बना दिये और किसी तरह का कोई भी देशी कट्टा बरामद नहीं हुआ था।

16. आरोपित अपराध पर विधिक प्रावधान एवं अभियोजन स्वीकृति आदेश की आवश्यकता– शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा– 25(1–B)(a) प्रावधानित करता है कि जो कोई धारा–3 के उल्लंघन में, कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा; वह कारावास से जिसकी एक वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, जो दंडनीय होगा तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस धारा के प्रावधान के अंतर्गत किसी अधिनियम के प्रावधान को इस अपराध में शामिल करने के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैः–(i) अभियुक्तगण के पास आग्नेयास्त्र या गोला–बारूद होना चाहिए; (ii) अभियुक्तगण के पास आवश्यक अनुज्ञप्ति नहीं होना चाहिए। शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा–26 के अंतर्गत जो कोई धाराएं–3, 4, 10 या 12 के किन्हीं उपबंधों में से किसी भी उपबंध के उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति से करेगा, जिससे या आशय उपदर्शित होता हो कि ऐसा कार्य किसी लोक–सेवक को या किसी रेल, विमान, जलयान, यान या प्रवहण के किसी भी अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाले किसी व्यक्ति को ज्ञात न हो, वह छः मास से कम न होने वाली किंतु सात वर्ष तक हो सकने वाली अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस धारा के प्रावधान के अंतर्गत किसी अधिनियम के प्रावधान को इस अपराध में शामिल करने के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैः– (i) अभियुक्तगण ने आग्नेयास्त्रों या गोला–बारूद को इस तरह से छुपाया होगा कि यह इस आशय का संकेत देती की यह किसी लोकसेवक को नहीं पता हो सकता है। इसके अतिरिक्त अपराध के संबंध में कार्यवाई शुरू करने के लिए, जिला अधिकारी की पूर्व स्वीकृती अनिवार्य हैं। शस्त्र अधिनियम, 1959 यह प्रावधानित करती हैं कि धारा–25 और 26 के तहत अपराधों के लिए संज्ञान और अभियोजन तब तक प्रारंभ नहीं किया जा सकता है, जब तक कि जिला अधिकारी से वैध अभियोजन स्वीकृति आदेश प्राप्त न हो।

17. अभियोजन अभिस्वीकृति कि आवश्यकता–शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा–3 के अतर्गत अपराध के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ के लिए, जिला अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा–39 यह प्रावधानित करती है कि इस अधिनियम की धारा–25 और 26/35 के अतर्गत आपराधों के संज्ञान लेने के लिए और अभियोजन का प्रारंभ तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि जिला अधिकारी से वैध स्वीकृति आदेश प्राप्त न हो। *अजय मोहन्ती बनाम उड़ीसा राज्य, 2000 सी.आर.आई.एल.जे. 785* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया कि शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा–3 के अंतर्गत अभियोजन के प्रारंभ के लिए इस अधिनियम की धारा–39 के अनुपालन में जिला अधिकारी की अभिस्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। वर्तमान मामले में जिला अधिकारी की अभिस्वीकृति

प्रतिवेदन को प्रदर्श P-6/P.W-5 के रूप में अंकित किया गया है और वही अभिलेख में है। प्रतिरक्षा पक्ष ने अभिस्वीकृति प्रतिवेदन के प्रदर्श पर आपत्ति जताई है। साथ ही अभिलेख में ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जो यह इस ओर इंगित करे कि प्राप्त की गयी स्वीकृति निम्न कोटि की है। एतद्नुसार, अभिस्वीकृति की आवश्यकता संतुष्ट है।

विधिक प्रावधान

18. *आयुध अधिनियम, 1959 की धाराएं–25(1–B)(a), 26 और 35 के अनुसार क्रमशः धारा–25(1–B)(a) के अनुसार जो कोई व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस या प्राधिकरण के किसी आग्नेयास्त्र या गोला–बारूद को प्राप्त करता है, अपने पास रखता है, साथ लेकर चलता है, खरीदता है, बेचता है, हस्तांतरित करता है या उसके संबंध में कोई कार्य करता है, वह इस धारा के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष का कारावास, जो तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा। धारा–26 के अनुसार जो कोई व्यक्ति हथियार या गोला–बारूद संबंधी कानून का उल्लंघन छिपाकर करता है या तलाशी के दौरान हथियार छिपाने का प्रयास करता है तो यह धारा लागू होता है। धारा–35 के अनुसार यदि किसी घर, वाहन या अन्य स्थान पर अवैध हथियार या गोला–बारूद बरामद होता है और वह स्थान कई व्यक्तियों के संयुक्त कब्जे या नियंत्रण में है, तो जिन व्यक्तियों को उसके बारे में जानकारी होने का कारण प्रतीत होता है, उन्हें भी उस अपराध के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है, जब तक वे इसके विपरीत साबित न कर दें।*

निर्धारण बिन्दु

19. इस प्रकार आरोपित धाराओं के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए और इस अधिनियम की धारा–39 के आदेश के अनुसार एक अभियोजन स्वीकृति प्रतिवेदन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय अभियुक्तगण की दोषिता अथवा निर्दोषिता को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर साक्ष्यों का मूल्यांकन करेगी–

I. क्या अभियुक्तगण के कब्जे से आयुद्ध बरामद हुआ था अर्थात् क्या अभियोजन आयुद्ध अधिनियम की धाराएं– 25(1–B)(a) और 26 के अपेक्षाओं को अभियुक्तगण के विरूद्ध साबित कर पाया है?

II. क्या जब्ती आयुध कारगर थी? अर्थात् इसके प्रयोग से जान–माल का नुकसान हो सकता था?

III. क्या अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश को न्यायालय के समक्ष साबित किया है?

IV. क्या अभियोजन जब्ती सूची, घटनास्थल, घटना का समय साबित करने में सफल रहा है?

V. क्या अभियोजन ने अपने मामले को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है?

20. न्यायालय प्रथम बिन्दु को लेता है। क्या अभियुक्तगण के कब्जे से आयुध बरामद हुआ था? अर्थात् क्या अभियोजन आयुध अधिनियम की धारा–25(1–B)(a), 26 सहपठित धारा–35 शस्त्र अधिनियम, 1959 के अपेक्षाओं को अभियुक्तगण के विरूद्ध साबित कर पाया है। अभियुक्तगण ने आयुध अधिनियम की धारा–3 के उल्लंघन में बिना अनुज्ञप्ति के अपने कब्जे में रखा था और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण का आशय पिस्तौल और गोली को लोक सेवक से छिपाकर रखने का था। साथ ही बरामद पिस्टल का कोई वैध कागजात अभियुक्तगण के पास नहीं था। यद्यपि अभियोजन जब्ती सूची के स्वतंत्र साक्षियों एवं पुलिस साक्षियों से भिन्न साक्षियों का साक्ष्य कराने में विफल रहा है। परंतु उक्त साक्षियों के साक्ष्य के बिना भी किसी मामले को प्रमाणित किया जा सकता है। यदि सारवान् एवं तात्विक साक्षियों के साक्ष्य द्वारा अभियोजन मामले को प्रमाणित कर दिया जाए। अपराधों के विधिक अवयवों पर विचार करने हेतु 'अवैध कब्जे' के सिद्धांत को समझना आवश्यक है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *संजय दत बनाम राज्य (सी.बी.आई. के माध्यम से), (1994) 5 एस.सी. सी. 410* के वाद में यह सुस्थापित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि दोषसिद्धि के लिए आरोपी का शस्त्र पर केवल भौतिक नियंत्रण ही नहीं, बल्कि 'सचेत कब्जा' होना अनिवार्य है, जिसमें आरोपी को शस्त्र की उपस्थिति, प्रकृति की पूर्ण जानकारी तथा उस पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। प्रस्तुत मामले में, अवैध हथियार की बरामदगी किसी खुले या साझा स्थान से न होकर, सीधे अभियुक्तगण के कमर और पैंट (व्यक्तिगत तलाशी) से की गयी है। व्यक्तिगत तलाशी से हुई यह बरामदगी स्वतः ही यह दर्शित करती है कि अभियुक्तगण का उक्त शस्त्र पर न केवल पूर्ण शारीरिक नियंत्रण था बल्कि वह उसकी उपस्थिति के प्रति पूर्णरूप से सचेत और जागरूक थे, जो धारा– 25(1–B)(a) के विधिक मापदंडों को पूर्णतः संतुष्ट करता है। इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष ने उक्त बरामदगी को विश्वसनीय साक्षियों के साक्ष्य से अकाट्य रूप से साबित किया है, जिनके बयानों में कोई भी विसंगति नहीं है। अभियुक्तगण ने अवैध हथियार और कारतूस को इस प्रकार छुपाकर रखा था जिससे कि वह किसी लोकसेवक या प्राधिकारी की दृष्टि में न आ सके, अतः उनका यह कृत्य धारा–26 के अंतर्गत 'गुप्त रूप से हथियार रखने' के गंभीर अपराध के परिधी में आता है। तद्नुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विधिक सिद्धांत के आलोक में, इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्षियों से

अभियुक्तगण का विवादित शस्त्र पर 'सचेत, अवैध एवं गुप्त कब्जा' बिना किसी संदेह के सिद्ध होता है।

इसके विपरीत प्रतिरक्षा पक्ष का मुख्य तर्क यह है कि कथित बरामदगी के समय कोई भी स्वतंत्र साक्षी उपस्थित नहीं था और अभियोजन का पूरा मामला केवल पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए अभियुक्तगण को संदेह का लाभ मिलना चाहिए।

न्यायालय की दृष्टि में उक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *गिरजा प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2007) 7 एस.सी.सी. 625* तथा *सुधाकर बनाम मध्य प्रदेश (2012)* के मामलों में यह सुस्थापित किया है कि विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है जो केवल पुलिस साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को रोकता हो। साक्ष्य अधिनियम,2023 की धारा–139 के अंतर्गत साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, संख्या नहीं।

वर्तमान मामले में, स्वत्रंत साक्षियों के अनुपलब्धता का कारण अत्याधिक रात्रि होना प्रतीत होता है। न्यायालय ने साक्षियों के बयानों का गहनता से परीक्षण किया है। उनके प्रतिपरीक्षण में प्रतिरक्षा पक्ष कोई भी ऐसी बात निकालने में विफल रहा है जिससे उनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह हो या अभियुक्तगण को झूठा फंसाने की दुर्भावना सिद्ध होती हो। उनके बयानों में कोई ठोस या तात्विक विरोधाभास नहीं है। अतः, केवल इस आधार पर कि वे पुलिस बल से है, उनकी विश्वसनीय और सुसंगत साक्ष्य को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। परिणामस्वरूप शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा–25(1–B)(a) की अवैध हथियार की बरामदगी और अभियुक्तगण का सचेत आधिपत्य संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है। इस प्रकार कोई उल्लेखनीय विसंगति लाने में प्रतिरक्षा पक्ष असफल प्रतीत हो रहा है।

21. न्यायायल द्वितीय और तृतीय बिन्दु को लेता है। जहां तक वस्तु प्रदर्श के कारगर होने का प्रश्न है। इस बिन्दु पर आयुध निरीक्षक (विशेषज्ञ साक्षी) का साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। आयुध निरीक्षक ने इस वाद में जब्त वस्तु प्रदर्श MO-1/P.W.-5 यह एक देशी निर्मित कट्टा, प्रदर्श MO-2/P.W.-5 पांच जिंदा कारतूस, इसका परीक्षण किया था और प्रतिवेदन दिया था। आयुध निरीक्षक को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। गोखुला राम अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि इस केस में आर्म्स जांच के समय पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय मिथिला क्षेत्र दरभंगा में आयुध निरीक्षक के पद पर पदस्थापित था। खिरहर थाना कांड सं0–95/2025 में जब्त वस्तु प्रदर्श आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त हुआ था। प्रदर्श में छोटे बैरल का एक देशी कट्टा तथा 8 एम.एम. का पांच जिंदा कारतूस प्राप्त हुआ था। जांच हेतु जब्त प्रदर्श

सीलबंद अवस्था में थैला में प्राप्त किया था। बट एवं बॉडी चेंबर सहित बैरल की लंबाई 12.3 सेमी0 पूरी लंबाई 28.5 सेमी0 है। हैमर, ट्रीगर एवं फायरिंग पिन कारगर अवस्था में था। दिनांक—08.09.2025 को खिरहर थाना कांड सं0—95 / 2025 दिनांक—21.08.2025 शस्त्र अधिनियम, 1959 में जब्त वस्तु प्रदर्श को कांड के अनुसंधानकर्ता पु0 अ0 नि0 प्रिया कुमारी द्वारा मेरे समक्ष विशेषज्ञ जांच हेतु प्रस्तुत किया गया। जब्त प्रदर्श सील थैला में लाया गया जिसपर खिरहर थाना कांड संख्या एवं माननीय न्यायालय का लघु हस्ताक्षर अंकित था। जब्त प्रदर्श के रूप में एक देशी कट्टा एवं 8 एम.एम. का पांच जिंदा कारतूस प्राप्त हुआ था। छोटे बैरल का देशी कट्टा स्थानीय स्थल पर अवैध रूप से निर्मित अग्नेयास्त्र है। इस देशी कट्टा का भौतिक एवं यांत्रिक विधि से जांच किया गया। स्लाईड केलिपर्स से शस्त्र का आंतरिक व्यास मापा गया जिससे पता चलता है कि 8 एम.एम. का कारतूस फायर किया जा सकता है। आर्म्स जांच रिपोर्ट पर मेरा हस्ताक्षर है जिसको पहचानता हूं जिसका प्रदर्श P-4/P.W-4 अंकित किया गया है। जबकि अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि जब्त प्रदर्श का टेस्ट फायरिंग नहीं किया था। कारतूस का भी टेस्ट फायरिंग नहीं किया था। कारतूस जिंदा था यह बात मैं अपने प्रशिक्षण के आधार पर कहा। कारतूस जिंदा या डेड है इसको नापने का कोई यंत्र नहीं है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा जब्त प्रदर्श मुझे प्रस्तुत किया गया था जिसका प्राप्ति रशीद मैं बनाया था और अनुसंधानकर्ता को जब्त प्रदर्श वापस किया था तो उसका रशीद भी अनुसंधानकर्ता से प्राप्त किया था। मैं अपने पूरे जांच रिपोर्ट में यह लिखा कि जब्त प्रदर्श कारगर है यह प्रतीत होता है। मैंने अपने जांच रिपोर्ट में यह नहीं लिखा था कि जब्त प्रदर्श निश्चित रूप से कारगर है। यह इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि उक्त प्रतिवेदन को आयुध निरीक्षक ने तैयार किया है। प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जब्त वस्तु प्रदर्श देशी पिस्टल कारगर थी, इनका प्रयोग मानव जीवन के लिए घातक था। अर्थात् उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यदि उक्त अग्नयायुध का प्रयोग किया जाता तो उससे जान—माल की क्षति कारित होती।

जहां तक तृतीय बिन्दु का प्रश्न है कि क्या अभियोजन चलाने के लिए अभियोजन के द्वारा सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति ली गई थी या नहीं। तो प्रदर्श P-6/P.W-5 के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि अभियोजन द्वारा सक्षम प्राधिकार, जिला दण्डाधिकारी से अभियोजन स्वीकृत्यादेश लिया गया था। अर्थात् वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया। तत्पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन प्रारंभ किया गया।

इस बिन्दु पर प्रतिरक्षा की ओर से प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह आपत्ति की कि अभियोजन स्वीकृति आरोप—पत्र के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी थी और इसे

बाद में साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित करा कर विचारण को दूषित किया गया है। प्रस्तुत तर्क न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। विधितः, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अभियोजन स्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अतर्गत एक 'लोक दस्तावेज है, जिसकी प्रामाणिकता पर मात्र तकनिकी आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के साथ, आरोपपत्र के साथ किसी प्रासंगिक दस्तावेज को संलग्न न कर पाना अभियोजन की एक सुधारात्मक चूक मात्र है, जिसे न्याय के हित में विचारण के किसी भी चरण में अभिलेख पर लिया जा सकता है। उक्त दस्तावेज को प्रदर्शित करने वाले साक्षी से प्रतिपरीक्षण करने का पूर्ण एवं निष्पक्ष अवसर अभियुक्तगण को प्रदान किया गया था, अतः अभियुक्तगण के बचाव के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और न ही इससे न्याय की कोई विफलता कारित हुई है। तद्नुसार प्रतिरक्षा पक्ष की यह विधिक आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है और उक्त अभियोजन स्वीकृति को वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है।

22. न्यायालय चतुर्थ बिन्दु को लेता है। क्या जब्ती सूची को अभियोजन साक्षियों के द्वारा प्रमाणित किया गया है या नहीं? इस बिन्दु पर प्रतिरक्षा पक्ष का कहना है कि जब्ती सूची के साक्षी शुभम कुमार शर्मा और कामेश्वर दास हैं। दोनों न्यायालय में उपस्थित हुए। अतः जब्ती सूची को साक्ष्य के रूप में ग्रहण कराना सुसंगत नहीं है। अभिलेख से स्पष्ट है कि सूचक पु0 अ0 नि0 द्वारा प्रमाणित संपूर्ण जब्ती सूची को प्रदर्श P-2/P.W-1 अंकित किया गया है। उक्त अभियोजन साक्षी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट स्थापित किया है कि तलाशी नियमों का पालन करते हुए देशी कट्टा और पांच जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। जब्ती सूची को केवल पुलिस पदाधिकारी और अन्य पुलिस साक्षी के द्वारा प्रमाणित किया गया है। प्रतिरक्षा पक्ष का कहना है कि उक्त साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं, पुलिस पदाधिकारियों के आधार पर अभियुक्तगण को दोषी नहीं माना जा सकता। पुलिस ने अभियुक्तगण को जानबूझ के फंसाया हैं। न्यायालय की दृष्टि में अन्य अभियोजन गवाहों का साक्ष्य साथ ही अभियुक्तगण के कब्जे से अभियोगात्मक सामग्रियों की बरामदगी के संबंध में संगत हो वहां उसी बरामदगी के संबंध में साक्ष्य केवल इस आधार पर परित्यक्त करने के आवश्यकता नहीं है कि स्वतंत्र जब्ती गवाह ने जब्ती सूची को साबित नहीं किया। क्योंकि जब्ती गवाहों का व्यवहार कई कारणों से प्रभावित हो सकता है। उक्त साक्षियों के साक्ष्य से अवैध आयुध और गोली के जब्ती का तथ्य पूर्णतः प्रमाणित होता है। प्रतिरक्षा अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षियों के साक्ष्य में ऐसी कोई विसंगति या विरोधाभास नहीं ला सका है, जो अभियोजन के मामले को प्रतिकूलतः प्रभावित करता हो। अनुसंधानकर्ता प्रिया कुमारी के साक्ष्य और उपरोक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि अभियोजन साक्षियों द्वारा अवैध आयुध और पांच जिंदा कारतूस के जब्ती के तथ्य को पूर्णतः प्रमाणित

किया गया है तथा सभी अभियोजन साक्षियों ने घटनास्थाल, घटना का समय को एक समान बताया है तथा अनुसंधानकर्ता के साक्ष्य से भी इसकी संपुष्टि हो चुकी है।

23. न्यायालय पंचम बिन्दु को लेता है। क्या अभियोजन ने अपने मामले को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *रामनिवास बनाम हरियाणा राज्य, 2022 (एस. एस. सी.) 666* में अभिनिर्धारित किया है कि यह स्थापित विधि है कि संदेह चाहे कितना भी सशक्त क्यों न हो, युक्तियुक्त संदेह से परे साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है। अभियुक्तगण को मात्र संदेह के आधार पर दोषी ठहराया नहीं जा सकता। एक आरोपी को तबतक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह युक्तियुक्त संदेह से परे दोषसिद्ध न किया जा सके। अतः विधि स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष से युक्तियुक्त संदेह से परे आरोपी के अपराध को स्थापित करना चाहिए। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचक, आयुध निरीक्षक और अनुसंधानकर्ता के साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास नहीं है। 'प्रस्तुत मामले में, यह अकाट्य रूप से सिद्ध हुआ है कि अभियुक्त सं0—01 के पास से एक अवैध कट्टा और अभियुक्त सं0—02 के पास से पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। यद्यपि आग्नेयास्त्र और कारतूस दो अलग—अलग अभियुक्त से शारीरिक रूप से बरामद हुए हैं, तथापि माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही समय, एक ही स्थान पर, एक साझा इरादे के साथ पाए जाते हैं, तो उनके पास उपलब्ध हथियार और कारतूस को 'संयुक्त और सचेत कब्जा' माना जाएगा। एक अभियुक्तगण के पास कट्टा होना और दूसरे के पास उसी में प्रयुक्त होने वाले जिंदा कारतूस होना, यह स्वतः स्पष्ट करता है कि दोनों अभियुक्तगण का एक—दूसरे के पास मौजूद सामग्रियों की पूर्ण जानकारी थी और उनका उस पर संयुक्त नियंत्रण था। कारतूसों के बिना कट्टा निष्प्राण है और कट्टे के बिना कारतूस निरर्थक हैं; अतः दोनों की बरामदगी को एक ही आपराधिक कृत्य का हिस्सा माना जाना न्यायसंगत है।

जहां तक स्वतंत्र साक्षियों की अनुपस्थिति या पुलिस गवाहों की विश्वसनीयता का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने '*राज्य बनाम प्रदीपन' (2006) 13 एस.सी.सी. 613* और अद्यतन निर्णयों में यह स्थापित किया है कि केवल इस आधार पर कि कोई स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं था, पुलिस अधिकारियों के आधिकारिक साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता, बशर्ते उनकी गवाही सुसंगत, विश्वसनीय और संदेहास्पद न हो। प्रस्तुत मामले में, जब्ती अधिकारी और गवाहों के बयानों में कोई अंतर्विरोध नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा—39 शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत दी गई अभियोजन स्वीकृति भी वैध पाई गई है। अतः, यह न्यायालय अभियुक्त

संख्या–1 और अभियुक्त सं0–2 दोनों को आयुध अधिनियम,1959 की धारा–25(1–B)(a) के अतंर्गत सह–अपराधी मानते हुए दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी पाता है।

आदेश

24. न्यायालय अभियुक्तगण 1. दीपक कुमार यादव और 2. कृष्ण मोहन यादव को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा–25(1–B)(a), 26 सहपठित धारा–35 के अंतर्गत दोषी पाते हुए और आयुध अपराध के लिए दोषसिद्ध करता है। अभियुक्तगण को न्यायिक हिरासत में लिया जाता है। दोनों अभियुक्तों के जमानतदारों को बन्धपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पीठलिपिक को आदेशित किया जाता है कि अभिलेख सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत करें।

दण्डादेश पर सुनवाई

25. न्यायालय के समक्ष अभिलेख पुनः प्रस्तुत किया गया। दंडादेश के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। विद्वान अपर मुख्य अभियोजन पदाधिकारी अभियुक्तगण के लिए अधिकतम दंड की मांग करते है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि यह अपराध जघन्य प्रकृति का है। अभियुक्तगण के पास से देशी कट्टा और जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है जो सामाजिक कानून व्यवस्था के लिए चिन्ताजनक है। दूसरी ओर, न्यायालय के समक्ष प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि अभियुक्तगण का कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। इस समाज के विधि आबद्ध नागरिक है। वे स्वयं के व्यवसाय से अपने परिवार का एकमात्र भरण–पोषण कर्ता है। उनको धन के अवैध मांग के कारण फंसाया गया है, उनका उम्र मात्र 30 वर्ष और 29 वर्ष है, वे न्यूनतम् दण्ड की प्रार्थना करते हैं। *श्याम नारायण विरूद्ध राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) (2013)7 एस. सी. सी. 77* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मुख्य रूप से यह ध्यान रखा जाना है कि किसी भी अपराध के लिए दंड का एक सामाजिक लक्ष्य है। दण्ड अपराध की प्रकृति और जिस साधन से अपराध किया गया है, उस संबंध में आरोपित किया जाना है। दण्ड देने का मूल उद्देश्य इस सिद्धांत पर आधारित है कि अभियुक्तगण को यह अनुभव करना चाहिए कि उसके द्वारा किए गए अपराध ने न केवल उसके जीवन में सेंध लगायी है, अपितु सामाजिक ताने–बाने में भी दरार पैदा कर दी है। न्यायपूर्ण दण्ड का उद्देश्य इस प्रकार बनाया गया है कि समाज में व्यक्ति जो अंततः सामूहिक रूप से संगठित होते हैं, ऐसे अपराधों के लिए बार–बार पीड़ित न हों, क्योंकि यह एक निवारक के रूप में कार्य करता है।

न्यायालय ने कहा, कुछ अवसरों पर दोषी को सुधरने का अवसर दिया जा सकता है। यह समान रूप से सत्य है कि किए गए अपराध और आरोपित दण्ड के मध्य आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा आगे यह मत प्रतिपादित किया गया कि इस जटिल कार्य को करते समय न्यायालय की ओर से यह ध्यान देना अनिवार्य है कि अपराध का समग्र रूप से समाज पर प्रभाव, तत्काल सामूहिकता पर इसका प्रभाव और साथ ही पीड़ित पर इसके प्रभाव के परिणाम क्या है। इसके अतिरिक्त *म.प्र. राज्य विरूद्ध अयूब खान (2012)8 एस. सी. सी. 676* में माननीय उच्चतम् न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया कि देश में हाथियारों और गोला—बारूद का प्रसार, चाहे अनुज्ञप्ति प्राप्त हो या नहीं, सामाजिक व्यवस्था और विकास को बाधित करता है, विधि व्यवस्था को कुरूपित करता है, सीधे हिंसक कृत्यों की घातकता में योगदान देता है। इन कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है। हमें विधि प्रवर्तन संस्थाओं पर इस बात का खेद है और कुछ हद तक न्यायालय भी सदैव इस देश के सामान्य शांतिप्रिय नागरिकों के लिए एकता, अखण्डता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पैदा होने वाले कहर को देखे बिना अपराधों को हल्के में लेती है। विधायिका ने अपने विवेक में, कुछ अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम् दण्ड तय की है, हथियार और गोला—बारूद रखना एक गंभीर अपराध है जो तीन साल से कम नहीं होगा। विधायिका ने अपने विवेक में यह अनुभव किया कि ऐसे अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम् दण्ड होना चाहिए, क्योंकि हथियारों और गोला—बारूद तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए और अधिक कठोर दण्ड प्रदान करने के लिए आवश्यकता अनुभव की जा रही है। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जहां हम आतंकवाद जैसे खतरे का सामना कर रहे हैं।

26. अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुपालन करते हुए, यह न्यायालय शस्त्र अधिनियम, 1959 के अंतर्गत दण्ड निर्धारण के मामलों में उदारता के लिए बाध्य नहीं है। जघन्य अपराधों के प्रवर्तन के लिए हथियार और गोला—बारूद प्रमुख घटक हैं परिणामस्वरूप, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि अभियुक्तगण परिवीक्षा अधिनियम के लाभ का पात्र नहीं है।

27. *सुरिन्दर सिंह बनाम राज्य, 2021 एस.सी.सी. ऑनलाईन एस.सी.सी. 1135* में दण्ड के बिन्दु पर विस्तार से विचार किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की दण्डादेश की आधारशीला 'आनुपातिका सिद्धांत' पर आधारित है। इस प्रकार आनुपातिकता का आकलन अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है, जो निम्न तथ्यों के अधार पर निर्धारित होता है— (i) अपराध में कारित रिष्टि अथवा कारित जोखिम; (ii) अपराधी का समग्र आचरण; (iii) अपराधी को दायित्वाधीन बनाने वाले हेतुक। अतः

पंजीकृत सं0–1236/2025
जी0 आर0 सं0–1236/2025
निर्णय की तिथि–27.07.2026
वाद की प्रकृति–ससंघर्ष
वाद का परिणाम–दोषसिद्ध
उपस्थित–श्री मनीष राय,
अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी,
बेनीपट्टी, मधुबनी

दण्डादेश की नीति परिवर्तित समय के साथ गतिशील रहती है। निःसंदेह, दण्डादेश की मात्रा निर्णित करते समय प्राथमिक रूप से बल अपराध की गंभीरता अथवा दाण्डिक मूल्यों पर होना चाहिए। हांलाकि पुर्नवासन न्याय विन्यास के अन्य मार्गदर्शक तत्वों; जिसमें दण्डादेश अल्पीकरण के आधारों की समीक्षा शामिल हैं; पर न्यायिक विवेक की अनुमन्य की सीमा के भीतर विधिवत् विचार किया जाना चाहिए। न्यायपूर्ण और अनुपातिक दण्डादेश देते समय न्यायालयों पर परम् कर्तव्य रहता है और उन्हें दण्डादेश की मात्रा निर्णित करते समय अप्रासंगिक कारकों से भटकना नहीं चाहिए। स्वाभाविक रूप से, जिन कारको को प्रासंगिक और अप्रासंगिक माना जाना चाहिए वह प्रत्येक मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं और इसके लिए कोई बधा–बधाया सार्वभौमिक सूत्र निर्मित नहीं किया जा सकता।

दण्डादेश

I. दोषसिद्धि का आदेश पारित करने के उपरांत, दोनों अभियुक्तों ***1. दीपक कुमार यादव और 2. कृष्ण मोहन यादव*** और अभियोजन पक्ष को दंडादेश के प्रश्न पर विस्तार से सुना गया।

II. अतः आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त संख्या–1 ***दीपक कुमार यादव***, को

1. शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा–25(1–B)(a) के तहतः 02 (दो) वर्ष के कठोर कारावास और 5,000/– (पाँच हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में अभियुक्तगण को 02 (दो) माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 26 के तहतः 01 (एक) वर्ष के कठोर कारावास और 2,000/– (दो हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में अभियुक्त को 01 (एक) माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

III. अभियुक्त संख्या–2 ***कृष्ण मोहन यादव***, को

1. शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा–25(1–B)(a) के तहतः 02 (दो) वर्ष के कठोर कारावास और 5,000/– (पाँच हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में अभियुक्त को 02 (दो) माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 26 के तहतः 01 (एक) वर्ष के कठोर कारावास और 2,000/– (दो हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में अभियुक्तगण को 01 (एक) माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

IV. यह निर्देश दिया जाता है कि दोनों अभियुक्तगणों को उपरोक्त दोनों धाराओं (धारा–25(1–B)(a) और धारा 26) के तहत दी गई कारावास की सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा क्रमवर्ती चलाई जाएगी।

V. दोनों दोषसिद्ध अभियुक्तगणों द्वारा कारा में व्यतीत निरोध की अवधि दंडादेश के तहत अवधि से मुजरा कर दी जाएगी। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध सजा अधिपत्र तैयार करे।

VI. कार्यालय लिपिक अविलंब निर्णय की प्रतिलिपि दोनों अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान करें तथा अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

VII. अपील की अवधि समाप्त हो जाने पर या अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार आदेश व निर्णय के अधीन इस मामले पर जब्त सभी प्रदर्शों को मालखाने में नष्ट किए जाने का आदेश दिया जाता है।

VIII. दोषसिद्ध अभियुक्तगण ***1. दीपक कुमार यादव और 2. कृष्ण मोहन यादव*** को सूचित किया जाता है कि उन्हें इस निर्णय के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है। उन्हें अवगत कराया जाता है कि यदि वे एक अधिवक्ता को नियुक्त करने का आर्थिक भार वहन नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्राप्त है।

मनीष राय

अनुमंडलीय न्यायिक, दण्डाधिकारी,
बेनीपट्टी
दिनांक –27.07.2026

यह निर्णय मेरे द्वारा टंकित व शुद्धिकृत किया गया, एवं आज खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया। निर्णय कुल 26 पृष्ठों में अभिलेख पर पृथक से संलग्न किया जाता है।

मनीष राय

पंजीकृत सं0–1236/2025
जी0 आर0 सं0–1236/2025
निर्णय की तिथि–27.07.2026
वाद की प्रकृति–ससंघर्ष
वाद का परिणाम–दोषसिद्ध
उपस्थित–श्री मनीष राय,
अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी,
बेनीपट्टी, मधुबनी

अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी,
बेनीपट्टी
दिनांक –27.07.2026

Date of Judgement/Order	27.07.2026
Date of Reserving Judgement/Order	08.07.2026
Uploading Date	27.07.2026
Uploaded by	KISHAN KUMAR (Stenographer)